सार्वजनिक सूचना

दिल्ली इंटरनेशनल
एयरपोर्ट लिमिटेड

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक [illegible] शिकायत संबंधी हमारे 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर : 011-47198600 पर संपर्क करें।

सूचना पत्र (अ)

[illegible]

कार्यालय उपनिबंधक सहकारी समितियां [illegible]

फार्म नं. आईएनसी-26

[illegible]

मैसर्स [illegible] प्राइवेट लिमिटेड

[illegible]

93, [illegible], नई दिल्ली-110025

[illegible]

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[illegible]

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

निविदा आमंत्रण सूचना

[illegible]

1. सं. ईई (ई)-पी/सीई (ई)/2019-2020/4 [illegible]
2. सं. ईई (ई)-पी/सीई (ई)/2019-2020/5 [illegible]
3. सं. ईई (ई)-पी/सीई (ई)/2019-2020/6 [illegible]
4. सं. ईई (ई)-पी/सीई (ई)/2019-2020/7 [illegible]
5. सं. ईई (ई) बीसीसी/एमटीएनएल/2019-20/21 [illegible]

[illegible] http://www.eprocure.gov.in [illegible]

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

सड़क हादसे में आठ की मौत

पलक्कड़ (केरल), 9 जून (भाषा)। थन्नीसेरी में रविवार को एक एंबुलेंस और एक मिनी ट्रक में हुई टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

चाचा-भतीजा को साथ लाने में जुटे सपा संरक्षक मुलायम

पार्टी को अखिलेश, शिवपाल के साथ आने के लिए विधानसभा उपचुनाव का इंतजार

नई दिल्ली, 9 जून (भाषा)।

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पार्टी में पारिवारिक स्तर पर दुराव को रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और अलग हो चुके शिवपाल सिंह यादव को फिर से एक साथ लाने की कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, पार्टी को विधानसभा उपचुनाव का इंतजार है।

सूत्रों के मुताबिक, पुत्र अखिलेश और भाई शिवपाल के बीच खटास दूर करने की मुलायम सिंह की शुरुआती कोशिश, चाचा-भतीजे की दरार पाटने में कामयाब नहीं रही। मुलायम की पहल पर पैतृक गांव सैफई में अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात जरूर हुई, लेकिन शिवपाल ने सपा में अपनी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के विलय से फौरी तौर पर इनकार कर दिया है। मुलायम परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि शिवपाल ने विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रसपा के मिलकर चुनाव लड़ने का विकल्प सुझाया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं।

भाजपा के नौ और सपा एवं बसपा के एक-एक विधायक के लोकसभा चुनाव जीतने तथा हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल का निर्वाचन रद्द होने के कारण, इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का इंतजार है। चुनाव आयोग ने हत्या के एक मामले में चंदेल को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कारण विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है।

लोकसभा चुनाव में सपा का जनाधार दरकने के कारण पूरे परिवार की राजनीतिक विरासत पर उपजे संकट को लेकर मुलायम सिंह ने पिछले सप्ताह शिवपाल को दिल्ली बुलाकर चर्चा की थी। चुनाव में यादव वोटबैंक के बिखराव से अखिलेश का सपा-बसपा गठबंधन का प्रयोग नाकाम होने में प्रसपा की भूमिका के मद्देनजर, मुलायम ने शिवपाल से पारिवारिक टकराव खत्म करने को कहा है।

इस घटनाक्रम से जुड़े पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सपा में प्रसपा के विलय की तत्काल संभावना से इनकार करते हुए बताया, 'शिवपाल ने नेताजी (मुलायम) से कहा है कि वह अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्हें इसके लिए प्रसपा के उन नेताओं से बात करनी होगी, जिन्होंने संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में साथ देकर प्रसपा को खड़ा किया है।' सपा के एक सांसद ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से सुलह की कोशिशों के बीच मुलायम ने चाचा-भतीजे को तत्काल एकजुट होने की जरूरत समझाते हुए आगाह किया है कि अगर अब नहीं संभले, तो फिर राजनीतिक भविष्य ठीक नहीं है।

समझा जाता है कि शिवपाल ने राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव को पारिवारिक कलह की मूल वजह बताते हुए सपा संरक्षक से कहा है कि प्रसपा और सपा, उपचुनाव भी मिलकर तब ही लड़ेगी जबकि अखिलेश रामगोपाल से पूर्णतः दूरी बना लें।

गौरतलब है कि 30 मई को मोदी सरकार के दूसरी बार हुए शपथ ग्रहण के बाद मुलायम ने एक जून से ही शिवपाल और अखिलेश को एकजुट करने की कोशिशें तेज कर दी थीं। शुरुआती तीन दिन मुलायम और शिवपाल दिल्ली में थे। चार जून को मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश सहित पूरे परिवार को सैफई बुलाकर बातचीत की। इसके बाद लखनऊ में भी मुलायम ने पारिवारिक कलह समाप्त करने की कोशिश जारी रखी।

बजट पूर्व परामर्श 11 से 23 जून तक

नई दिल्ली, 9 जून (भाषा)।

बजट से पहले होने वाली परामर्श प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सिलसिले में 11 जून से 23 जून के बीच अर्थशास्त्रियों, बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंडलों से मुलाकात करने वाली हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी 20 जून को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को पेश होने वाला है।

सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली हैं। उन्हें अपने पहले बजट में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्ति, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की चुनौतियां, रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात में सुधार, कृषि संकट और सरकारी निवेश में वृद्धि जैसी चुनौतियों पर राजकोषीय स्थिति पर असर डाले बिना काम करना होगा। वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर अर्थव्यवस्था की स्थिति पर उनसे राय लेंगी।

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Vimal Kumar S/o Sat Pal Seedhar R/o 10/XII, Third-floor, Sanjay-Nagar, Near-Gulabi Bagh, Delhi-7. Have Changed My Name to Vimal Kumar Seedhar. 0040496673-6

I, Sheela Devi W/O Anil Kumar R/O 811, Village Ladpur, Delhi-110081. Have Changed My Name To Shila. 0040496673-5

I, Naresh Kumar Malhotra S/O Om Prakash Malhotra R/O-Wz-909, Rani Bagh, Delhi-110034. Have Changed My Name To Naresh Malhotra. 0040496673-4

I, Ranjeet Singh S/O Pritam Singh R/O A-70, A-71, Block-A, Gurunanak-Enclave, Nilothi Extension, Nilothi, Delhi-110041. Changed my name to Ranjit Singh. 0040496673-3

I, Raj Singh S/o Kirath Singh R/o-5-D/68 3rd floor NIT, Faridabad Haryana, have Changed my Name to Rajpal Singh for all purposes. 0040496694-2

I, No.16019653Y RFN Surender Kumar, Serving at 21 RAJRIF, Delhi Cantt. Inform that in my service records my wife's name is wrongly mentioned as TEENA her correct Name is TEENA DEVI which may be amended accordingly. 0040496530-1

I, Nidhi Dwivedi W/o Shiv Mehra R/o B-46, Sector-39, Noida(U.P.) have changed my name to Nidhi Mehra for all purposes. 0040496643-1

I, Mohammad Noshad Ali S/o Shamshad Ahamd R/o-53/2, Moh Pansariyan, Shamli, Uttar Pradesh-247776 have changed my name to Mohammad Noshad. 0040496679-1

I, Harleen Kaur D/o Jagmohan Singh Sethi R/o CA-112C DDA Flats Hari Nagar New Delhi-110064 have changed my name to Harleen Kaur Sethi for all future purposes. 0040496470-1

I, Ashutosh S/o Kuldeep R/o M-703, Ajnara Landmark, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, have change my name as Ashutosh Kashyap for all future purposes. 0040496673-2

PUBLIC NOTICE

[illegible]

HARI RAJ CHAUHAN ADVOCATE
Ch. No. 736, Dwarka District Courts, New Delhi-110075

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

जीएसटी चोरी के आरोप में एक गिरफ्तार

जयपुर, 9 जून (भाषा)।

माल व सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के मामले में भिवाड़ी के व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 21 करोड़ रुपए की कथित जीएसटी चोरी का है।

उपायुक्त (प्रशासन-प्रतिकरापवंचन राज्य कर) कार्यालय के अनुसार राजस्थान वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत 21 करोड़ रुपए की कथित जीएसटी चोरी के मामले में एएम विनाइल प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी के संचालक अतुल चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। चोपड़ा को शनिवार को यहां अपर सिविल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 10 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कार्यालय के अनुसार चोपड़ा द्वारा राजस्थान वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (अ) के तहत दंडनीय आपराधिक कृत्य करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

कठुआ मामले में आज आ सकता है अदालत का फैसला

पठानकोट, 9 जून (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के कठुआ में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में यहां एक विशेष अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी। देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई। जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कठुआ में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी।

पंद्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया। जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोप तय किए हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है।

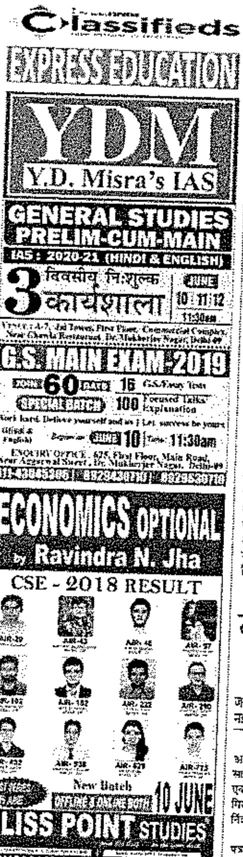

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

YDM
Y.D. Misra's IAS

GENERAL STUDIES
PRELIM-CUM-MAIN
IAS : 2020-21 (HINDI & ENGLISH)

3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला
JUNE 10 11 12 11:30am

Venue : A-7, 2nd Tower, First Floor, Commercial Complex, Near Chawla Restaurant, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

G.S. MAIN EXAM-2019
JOIN 60 DAYS 16 G.S./Essay Tests
SPECIAL BATCH 100 Focused Talks/ Explanation
Work hard. Believe yourself and as I Let success be yours
Hindi & English Begins on JUNE 10 Time: 11:30am

ENQUIRY OFFICE : 675, First Floor, Main Road, Near Aggarwal Sweet, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
011-43045306 | 8929430710 | 8929820710

ECONOMICS OPTIONAL
by Ravindra N. Jha

CSE - 2018 RESULT
AIR-29 AIR-43 AIR-46 AIR-97 AIR-102 AIR-182 AIR-222 AIR-290 AIR-432 AIR-538 AIR-621 AIR-773

New Batch
OFFLINE & ONLINE BOTH 10 JUNE

BLISS POINT STUDIES
9811343411, 9811343938, 9811343464

[illegible]

राजस्थान : भाजपा ने विस्तारकों को पदमुक्त कर बाइक लौटाने को कहा

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 9 जून।

आरएसएस की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तैनात किए विस्तारकों की सेवाएं अब खत्म कर दी हैं। इन विस्तारकों को पार्टी की तरफ से दी गई मोटर साइकिल भी लौटाने को कहा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी का कहना है कि विस्तारकों ने चुनाव में बेहतरीन काम किया और विपक्षी दल को लोकसभा चुनाव में जोरों पर आउट कर दिया।

> विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने हर क्षेत्र में पूर्णकालिक विस्तारक तैनात किए थे

राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हर क्षेत्र में पूर्णकालिक विस्तारकों को तैनात किया था। लोकसभा चुनाव होने के बाद इन सभी विस्तारकों की प्रदेश दफ्तर पर बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने विस्तारकों के घर-परिवार छोड़ कर पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करने को अनुकरणीय बताया। उनका कहना है कि विस्तारक संगठन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन कर सामने आए। विस्तारकों के काम को न तो तौला जा सकता है और न ही लिखा जा सकता है। विस्तारकों की बदौलत ही भाजपा ने बूथ स्तर तक मजबूती हासिल की। विस्तारकों ने भी बगैर किसी प्रलोभन के मैदान में जमकर काम किया। इस दौरान सैनी ने विस्तारकों का सम्मान भी किया। इसके साथ ही विस्तारकों को अब संगठन में पद देने की भी पेशकश की गई है। इस आयोजन में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदेश के सह प्रभारी वी सतीश और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद थे।

प्रदेश भाजपा ने विस्तारकों को काम करने के लिए बाइक के साथ ही खर्च करने के लिए कुछ रकम भी मुहैया कराई गई थी। विस्तारकों की योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संघ के प्रचारक की तर्ज पर शुरू करवाई थी। प्रदेश में पिछले साल फरवरी में इस योजना पूरी तरह से लागू किया गया था और विस्तारकों को कड़ा प्रशिक्षण देकर फील्ड में भेजा गया था। विस्तारकों को अपने क्षेत्र में बूथवार रिपोर्ट तैयार करने, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति समेत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश में दो सौ विधानसभा क्षेत्रों में से 187 में विस्तारक लगाए गए थे और 10 विस्तारकों को संगठन का अन्य जिम्मा सौंपा गया था।

टीवी चैनल के प्रमुख की गिरफ्तारी की एडिटर्स गिल्ड ने की निंदा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जून।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित कथित आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर एक पत्रकार और एक टीवी चैनल के संपादक व प्रमुख की गिरफ्तारी की एडिटर्स गिल्ड ने रविवार को निंदा की।

लखनऊ के हजरतगंज थाने में नोएडा के पत्रकार प्रशांत कनौजिया के खिलाफ शुक्रवार रात को प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। कनौजिया ने ट्विटर और फेसबुक पर एक वीडियो डाला था। जिसमें एक महिला को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर कई मीडिया संस्थानों के संवाददाताओं से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है और वह दावा कर रही है कि उसने मुख्यमंत्री को विवाह प्रस्ताव भेजा है।

गिल्ड के अनुसार नोएडा से संचालित टीवी चैनल नेशन लाइव की संपादक इशिता सिंह और प्रमुख अनुज शुक्ला को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिल्ड ने एक बयान में कहा- पुलिस की कार्रवाई कठोरतापूर्ण, मनमानी और कानूनों के अधिकारवादी दुरुपयोग के समान है। गिल्ड इसे प्रेस को डराने-धमकाने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने के प्रयास के तौर पर देखती है।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी याचिका सं. सीएए-165(एनडी)/2018
के साथ संबंधित
कम्पनी आवेदन सं. (सीए(ए))-34(एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के विषय में
तथा
निम्नलिखित के बीच समामेलन की स्कीम के विषय में

आर्टेमिस हेल्थ साइंसेज लिमिटेड — आवेदक कम्पनी सं. 1/समामेलनकारी कम्पनी 1
तथा
एथेना एडुस्मार्क लिमिटेड — आवेदक कम्पनी सं. 2/समामेलनकारी कम्पनी 2
तथा
आर्टेमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड — आवेदक कम्पनी सं. 3/समामेलित कम्पनी 1
तथा
आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड — आवेदक कम्पनी सं. 4/समामेलित कम्पनी 2
तथा
उनके संबंधित शेयरधारक और क्रेडिटर्स

याचिका की सुनवाई की सूचना

उपरोक्त नामक "आवेदक कम्पनियों" द्वारा आर्टेमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड, आर्टेमिस हेल्थ साइंसेज लिमिटेड, एथेना एडुस्मार्क लिमिटेड तथा आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की स्कीम की मंजूरी के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक संयुक्त याचिका ("याचिका") दिनांक 05 फरवरी, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (नई दिल्ली पीठ) के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा 08 मार्च, 2019 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गई थी (इस संबंध में आदेश 14 मई, 2019 को उपलब्ध किया गया था)। **अब उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष 25-07-2019 को की जानी नियत है।** प्रत्येक आवेदक कम्पनी सं. 1, आवेदक कम्पनी सं. 2 तथा आवेदक कम्पनी सं. 4 का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 14, सेक्टर-20, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110075 में स्थित है। आवेदक कम्पनी सं 3 का पंजीकृत कार्यालय 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110058 में स्थित है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, वह अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, आवेदक कम्पनी के अधिवक्ता को इस प्रकार भेज सकता है कि आवेदक कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को याचिका की प्रति उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता./-
राजीव मलिक
आवेदक कम्पनियों हेतु अधिवक्ता
मनोज शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
चैम्बर नंबर 268, [illegible] कॉम्प्लेक्स
झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06-06-2019